न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 199/2016
दायर दिनांक – 09/12/2016
निर्णय दिनांक – 27/06/2018

अनवान

1. पानी बाई पिता मोतीलाल पत्नि किशनलाल कलाल पनोतिया हाल निवासी बबराणा तहसील कपासन जिला चितोडगढ
2. गंगाबाई पिता मोतीलाल पत्नि बंशीलाल कलाल पनोतिया हाल निवासी देवाली तेजावत नगर उदयपुर जिला उदयपुर

वादीगण

बनाम

1. रतनलाल पिता मोतीलाल कलाल पनोतिया हाल निवासी थामला तहसील मावली जिला उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन

निर्णयः

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन एव स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम पछमता तहसील रेलमगरा के आराजी सख्या 635, 636 ,638, 639 कुल किता 4 कुल रकबा 06–03 बीघा वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 की सहखातेदारी कृषि आराजीयात स्थित है नकल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी सादर प्रस्तुत है वाद पत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात मे वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अंकित है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात का आपसी तौर पर सुविधानुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु भूमियों के लगान एव विकास हेतू उक्त भूमियों का विधिवत विभाजन नही होने से वादीगण को भारी असुविधा हो रही है। तथा वादीगण अपने हिस्से की भूमि का समूचित रूप से उपयोग –उपभोग करने मे भारी असुविधा महसूस कर रहे है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 आये दिन वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का उपयोग–उपभोग करने मे रूकावट, बाधा, हस्तक्षेप, व्यवधान कारित कर रहा है। जिस कारण वादीगण को न्यायालय आपमे उक्त वाद प्रस्तुत कर भूमियों के समूचित विकास एव उपयोग उपभोग हेतू विभाजन

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

कराया जाना नितांत आवश्यक है जिस निमित वादीगण की और से वाद सादर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष मे एवम प्रतिवादी गण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रचलित फरमाई जावे कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात का वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 1 के बीच वादपत्र की कलम संख्या 2 के अनुसार मिटस एण्ड बोण्डस पद्धति से विभाजन की प्रारंभिक एव अंतिम डिक्री प्रचलित फरमाई जावे। विभाजन पश्चात वादीगण को प्राप्त होने वाली आराजीयात मे प्रतिवादी संख्या 1 किसी प्रकार की दखलन्दाजी , बाधा, रूकावट ,हस्तक्षेप इत्यादि वादीगण के उपयोग –उपभोग मे कारित नही करे इस बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादीगण के पक्ष मे एव प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध प्रचलित फरमाई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादिगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना तामिल अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया इनके विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही गई वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पी.डब्लू. एक गंगाबाई का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रर्दश एक तथा नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति प्रर्दश दो के प्रस्तुत की गई कि पत्रावली वास्ते वादी की बहस हेतु नियत थी कि राजस्व न्याय आपके द्वार 2018 के तहत् राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प पछमता पर रखी गई। दौराने कैम्प अधिवक्ता वादी उपस्थित वादी की बहस सूनी गई। विभाजन किये जाने हेतु सहमति दी गई। पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी की सहमति अनुसार तहसीलदार रेलमगरा से विभाजन प्रस्ताव 2–2 प्रतियों में लिया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दी गई विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार है।

क.सं.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	रतनलाल पिता मोतीलाल कलाल सा. पनोतिया खातेदार	635	01–06	04–59
		639	01–15	07–28
	योग	02	03–01	11–87
2	पानीबाई, गंगाबाई पिता मोतीलाल कलाल सा. पनोतिया खातेदार	636	01–09	05–53
		638	01–13	06–83
	योग	02	03–02	12–36

उपरोक्तानुसार पक्षकारान् के राजस्व रिकोर्ड में पृथक–पृथक अंकन किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जुझ हिस्सा माना जावे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 2706.2018 को कैम्प पछमता में सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– शक्ति सिंह भाटी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 199/2016

अनवान

वादी पक्ष :–

1. पानी बाई पिता मोतीलाल पत्नि किशनलाल कलाल पनोतिया हाल निवासी बबराणा तहसील कपासन जिला चितोडगढ
2. गंगाबाई पिता मोतीलाल पत्नि बंशीलाल कलाल पनोतिया हाल निवासी देवाली तेजावत नगर उदयपुर जिला उदयपुर

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :–

1. रतनलाल पिता मोतीलाल कलाल पनोतिया हाल निवासी थामला तहसील मावली जिला उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय रेलमगरा

दावा :– विभाजन
वादी की ओर से :– आर.के. सनाढ्य
प्रतिवादी की ओर से :– अधिवक्ता

में इस आशय मे दिनांक 27.06.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि ग्राम पछमता की आराजी संख्या 633, 636, 638, 639 कुल किता– 04 कुल रकबा 06–03 बीघा का वादी की सहमति अनुसार तहसीलदार रेलमगरा से विभाजन प्रस्ताव 2–2 प्रतियों में लिया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दी गई विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार है।

क.सं.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	रतनलाल पिता मोतीलाल कलाल सा. पनोतिया खातेदार	635	01–06	04–59
		639	01–15	07–28
	योग	02	03–01	11–87
2	पानीबाई, गंगाबाई पिता मोतीलाल कलाल सा. पनोतिया खातेदार	636	01–09	05–53
		638	01–13	06–83
	योग	02	03–02	12–36

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

उपरोक्तानुसार पक्षकारान् के राजस्व रिकोर्ड में पृथक–पृथक अंकन किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जुझ हिस्सा माना जावे। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आज दिनांक 27/06/2018 को न्यायलय की मोहर एवम् मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(शक्ति सिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा